3/यो0-स0क0-27/2022/.........24

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

पत्र संख्या-

स्वीकृत्यादेश
(संख्या /2024-25)

प्रेषक,

योगेश कुमार सागर, (भा०प्र०से०),
संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-21.03.2025

विषयः- **वित्तीय वर्ष 2024-25 में "सक्षम ऑगनबाड़ी एवं पोषण 2.0" के अन्तर्गत एकीकृत बाल विकास सेवाएँ (आईसीडीएस) – स्थापना के राज्य योजना मद में 2331.00 लाख (रू. तेईस करोड़ एकतीस लाख) मात्र के अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि समाज कल्याण विभाग के संकल्प ज्ञापांक-1062 दिनांक 07.03.23 से **"सक्षम ऑगनबाड़ी एवं पोषण 2.0"** योजना के क्रियान्वयन की स्वीकृति दी गई है तथा ज्ञापांक-5724 दिनांक 27.11.2017 द्वारा राज्य में बच्चों, किशोरियों, महिलाओं, धातृ महिलाओं में कुपोषणता को दूर करने हेतु विभिन्न अवयवों के लिए समेकित बाल विकास छत्र योजना कार्यान्वित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में **"सक्षम ऑगनबाड़ी एवं पोषण 2.0"** के अन्तर्गत एकीकृत बाल विकास सेवाएँ (आईसीडीएस) – स्थापना के विभिन्न घटको में कुल रू. 151835.86 लाख (रू. पंद्रह सौ अठ्ठारह करोड़ पैतीस लाख छियासी हजार) मात्र के व्यय की स्वीकृति विभागीय पत्रांक 34 दिनांक 08.04.2024 द्वारा तथा प्रथम अनुपूरक से प्राप्त कुल रू. 57990.42 लाख मात्र के अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति विभागीय पत्रांक 69 दिनांक 21.08.2024 एवं द्वितीय अनुपूरक से प्राप्त कुल रू. 35013.36 लाख (रू. तीन सौ पचास करोड़ तेरह लाख छत्तीस हजार) मात्र के अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति विभागीय पत्रांक 02 दिनांक 08.01.2025 द्वारा प्रदान की गई है। अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के आलोक में तृतीय अनुपूरक से प्राप्त राज्य योजना मद में 2331.00 लाख (रू. तेईस करोड़ एकतीस लाख) मात्र के अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति निम्न प्रकार प्रदान की जाती है:- **(राशि लाख में)**

क्र.	योजना का नाम	केन्द्रांश/ राज्यांश का अनुपात	PFMS Code	विपत्र कोड	विषय शीर्ष	पूर्व में स्वीकृत राशि	अतिरिक्त स्वीकृत राशि
1.	एकीकृत बाल विकास सेवाएँ (आईसीडीएस) - स्थापना (राज्य स्कीम)	00:100		(51-2235021020123)	0123. 28.02, 37.01, 52.01	13405.07	2331.00
कुल (रू. तेईस करोड़ एकतीस लाख)							**2331.00**

2. स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन हेतु आई.सी.डी.एस. निदेशालय (मुख्यालय) स्तर पर लेखा पदाधिकारी, आई.सी.डी.एस. निदेशालय, जिला स्तर पर सभी 38 जिला प्रोग्राम पदाधिकारी एवं प्रखंड/परियोजना स्तर पर सभी 544 बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित हैं।

3. उक्त स्वीकृत राशि के विरूद्ध CFMS में प्राप्त राशि के आधार पर ही आई.सी.डी.एस. निदेशालय द्वारा निर्गत आवंटनादेश से राशि की निकासी एवं व्ययन किया जायेगा। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु बिहार वित्तीय नियमों का पालन करने की जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

4. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के पत्रांक **214/**वि० दिनांक 06.03.2024, 3576/वि0 दिनांक 01.04.24**, 478/**वि० दिनांक 06.08.2024**, 730/**वि० दिनांक 12.09.2024**, 206/**वि० दिनांक 18.03.2025 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य अनुदेशों / परिपत्रों के अनुसार किया जायेगा।

5. इस स्वीकृत्यादेश पर संचिका संख्या-3/यो0-स0क0-27/2022 के टिप्पणी पृष्ठ संख्या 22/टि0 पर दिनांक 19.03.25 को आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

6. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

7. यह चालू योजना है। अतः महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन
21/3/25
संयुक्त सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक- 3/यो0-स0क0-27/2022/ 24 पटना, दिनांक- 21.03.2025

प्रतिलिपि - महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/संयुक्त सचिव, वित्त विभाग (बजट शाखा)/निदेशक आई.सी.डी.एस./सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/ विशेष कार्य पदाधिकारी, समाज कल्याण विभाग (बजट शाखा)/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0 निदेशालय/सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी/सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

21/3/25
संयुक्त सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक- 3/यो0-स0क0-27/2022/ 24 पटना, दिनांक- 21.03.2025

प्रतिलिपि - कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, विश्वेश्वरैया भवन, पटना/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/ सभी उप कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

21/3/25
संयुक्त सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक- 3/यो0-स0क0-27/2022/ 24 पटना, दिनांक- 21.03.2025

प्रतिलिपि - विभागीय आई0टी0 मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेश दिया जाता है कि स्वीकृत्यादेश की प्रति को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

21/3/25
संयुक्त सचिव,
समाज कल्याण विभाग।